कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन,बाणगंगा,भोपाल

क्रमांक /प्र.अ.(विधिं)/लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम अभ्यावेदन दिनांक 02.03.2020 में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड खुरई के अधीनस्थ नियोजित 05 ट्रायसेम श्रमिकों क्रमशः (1) श्री मुन्नालाल अहिरवार, (2) श्री शिवचरण अहिरवार, (3) श्री कैलाश अहिरवार (4) श्री पूरन पटेल एवं (5) श्री कामोद पटेल के द्वारा अभ्यावेदन में चाहे गये स्वत्वों का निर्धारण किया जा रहा है।

(2) अभ्यावेदन दिनांक 02.03.2020 में शामिल सभी 05 ट्रायसेम मैकेनिकों द्वारा निम्नानुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है :–

प्रति,

1. श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
2. श्रीमान प्रमुख अभियंता महोदय,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन बाणगंगा भोपाल।
3. श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र ग्वालियर।
4. श्रीमान कार्यपालन यंत्री महोदय,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड खुरई, सागर।

विषयः– प्रार्थीगण सामान्य प्रशासन विभाग की पोलिसी दिनांक 01.10.2016 का लाभ, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड भिण्ड के ट्रायसेम मैकेनिक श्री गोरीशंकर, श्री बलराम, श्री मंशाराम एवम अन्य ट्रायसेम कर्मचारियों की तरह एवम वेतनमान एवम अंतर की राशि देने बावत।

1. यह कि प्राथीगण की नियुक्ति श्रीमानजी के विभाग में ट्रायसेम योजना के तहत वर्ष 1993 से वर्ष 1997 के मध्य हुई है। जिसके बाद प्राथीगण अपने कत्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से नियमित रूप से करते आ रहे है।

2. यह कि ट्रायसेम योजना के तहत भर्ती हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड भिण्ड में सभी कर्मचारियों को श्रीमान कार्यपालन यंत्री महोदय ने वर्ष 2005 में स्थाई वर्गीकृत कर दिया था, जिसके बाद तकरीबन 7 ट्रायसेम कर्मचारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद न्यूनतम वेतनमान एवम अंतर की राशि का भुगतान कर दिया गया है, और जिसके बाद कई ट्रायसेम कर्मचारीगण जैसे ट्रायसेम मैकेनिक श्री गोरीशंकर, श्री बलराम, श्री मंशाराम, श्री गोपाल सिंह, श्री फतेह सिंह आदि ने माननीय उच्च न्यायलय में डबल्यू.पी. नियमित वेतनमान के लिए दायर की, और जिसके बाद उन्होने माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना प्रकरण दायर किए।

3. .यह कि श्रीमान कार्यपालन यंत्री, पी.ए.ई. विभाग खंड ने आदेश दिनांक 03.12. 2016 को सभी ट्रायसेम मैकेनिक के स्थाई वर्गीकरणों को निरस्त कर दिया। जिसके

बाद ट्रायसेम मैकेनिक श्र गोरीशंकर, श्री बलराम, श्री मंशाराम श्री गोपाल सिंह, श्री फतेह सिंह आदि ने जो अवमानना प्रकरण माननीय न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में विभाग के विरूद्ध दायर किए उसमें माननीय श्री मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र ग्वालियर ने आदेश दिनांक 08.05.2018 को पारित कर उच्च न्यायालय में पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया और ट्रायसेम मैकेनिक श्री गोरीशंकर, श्री बलराम, श्री मंशाराम सिंह श्री फतेह सिंह आदि को सामान्य प्रशासन विभाग की पोलिसी दिनांक 07.10.2016 स्थाईकर्मी का लाभ दिया है।

4. यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णय में यह आदेश दिया है कि कर्मचारियों का प्रकरण अगर समान प्रकृति का है और विभाग द्वारा कुछ कर्मचारियों का लाभ दिया जा चुका है तो सभी कर्मचारियों को वह लाभ देना होगा।

> Once the Government's SLPs are dismissed and the legal position has attained finality, in all fairness, the respondents should extend the benefit of the said principle to all similarly situated employees. in (1985) 2scc 648 (Inder Pal Yadav and others vs. Union of India and others),the Apex Court opined as under:-
>
> "Therefore, those who could not come to the court need not be at a comparative disadvavtage to those who rushed in here. If they are otherwise simllaly situated, they are entitled to similar treatment, if not by anyone else at the hands of this Court."

श्रीमानजी से विन्रम अनुरोध है कि प्रार्थीगण को खण्ड भिण्ड के ट्रायसेम मैकेनिक की तरह प्रार्थीगण को सामान्य प्रशासन पोलिसी दिनांक 07.102016 का लाभ शीघ्र दे।

प्रार्थीगण आपका अत्यंत जीवन भर आभारी रहेगा।

(3) **अभ्यावेदनकर्ताओं द्वारा चाही गयी सहायता**

सभी 05 अभ्यावेदनकर्ता ट्रायसेम मैकेनिकों द्वारा खण्ड भिण्ड के ट्रायसेम मैकेनिकों की तरह मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूंबर 2016 के माध्यम से जारी की गयी **कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को लिये ''स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना''** का लाभ दिए जाने बावत निवेदन किया गया है।

(4) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं ट्रायसेम मैकेनिकों के बीच के अंतर को दर्शाने वाली तालिका

क्रं.	विभेद के आधार	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी	ट्रायसेम मैकेनिक
1	नियुक्ति/ नियोजन प्रक्रिया	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ऐसे कर्मचारी है जो, बिना किसी भरती नियम के अथवा किसी भरती प्रक्रिया के तथा बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के, कार्य की आवश्यकतानुसार, नियोजित कर लिये जाते हैं।	मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वासथ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा ट्रायसेम योजना के अंतर्गत हैंडपंपों के सुधार हेतु प्रशिक्षण और ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार के अवसर देने हेतु परिपत्र दिनांक 30.07.1983 के माध्यम से निर्देश जारी किये गये थे। निर्देशों के अनुपालन में ग्रामीण स्तर पर नवयुवकों को हैंडपंपों के माइनर कार्यो जैसे चैन की आयलिंग ग्रीसींग करने, तोड़–फोड़ से रक्षा करने तथा अति साधारण रख–रखाव कार्य करने हेतु अधिकतम एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया था । ट्रायसेम मैकेनिको को विभाग में हैंडपंप सुधार/रक्षा से संबंधित मायनर कार्यो हेतु अंशकालिक तौर पर प्रतिदिन अधिकतम 01 से 02 घंटे के कार्य हेतु, हैंडपंप रक्षक के रूप में मानदेय के आधार पर नियोजित किया गया था। इस व्यवस्था से शासन की मंशा संधारण कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने की थीं। ट्रायसेम मैकेनिको को अपने इस काम के साथ–साथ अन्य कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी ।
2	सेवा को शासित करने वाले अधिनियम	दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर राज्य शासन के नियम लागू नहीं होते है, इसलिए उन पर **म. प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961, नियम 1963 लागू होते है।** राज्य शासन द्वारा इस प्रकृति के कर्मचारियों के लिए वर्ष 2013 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के	ट्रायसेम मैकेनिको की सेवाएं राज्य शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बनाये गए किसी भी सेवा नियमो के अंतर्गत नहीं आती है ।

		तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **"म. प्र. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्ते) नियम 2013"** बनाये जाकर लागू किये गए थे। बाद में वर्ष 2016 में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूंबर 2016 के माध्यम से **"म. प्र. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्ते) नियम 2013"** को निरस्त किया जाकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पुनः **म. प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961, नियम 1963** के अधीन लाया गया है।	
3	नियमित स्थापना में संविलियन के अवसर	म.प्र.शासन (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा वर्ष 2016 के पूर्व समय समय पर इस प्रकृति के कर्मचारियों को विभागीय रिक्त पदों के विरुद्ध विशुद्ध रूप से नवीन नियुक्तियों की शर्तो पर नियमित/कार्यभारित स्थापना के पदों पर समाहित करने की योजना लाई गई है। योजना के तहत कर्मचारी को नवनियुक्त की तरह बिना वेतन एवं वरिष्ठता संरक्षण के नियमित सेवा में संविलियन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूंबर 2016 के माध्यम से इन कर्मचारियों के लिए यानि कार्यरत ''स्थायी कर्मियों'' के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया (जिला स्तर के चतुर्थ श्रेणी पदों की पूर्ति हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किये जाने पर) के माध्यम से, नियमित सेवा में संविलियन के अवसर भी उपलब्ध कराये गए है ।	ट्रायसेम योजना में मैकेनिको के कार्य को पूर्णकालिक किये जाने अथवा उनके नियमितीकरण इत्यादि के संबंध में कोई प्रावधान प्रारंभ से ही नहीं था। इनके लिए राज्य शासन द्वारा किसी भी तरह की योजना नहीं लाई गयी है ।
4	पारिश्रमिक	म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्मित मानक स्थाई आदेश में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को वेतन का भुगतान न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर किये जाने का प्रावधान है तथा उन्हें प्रारम्भ से ही उक्तानुसार भुगतान किया जाता था । मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन	ट्रायसेम मेकनिकों को एक निश्चित दर पर माइनर कार्यो का आवंटन किया गया था । उन्हें आज भी सौपे गए अंशकालिक कार्य के परिमाण के आधार पर मानदेय राशि भुगतान की जाती है । वर्ष 1983 में ट्राईसेम मेकनिकों को प्रारंभिक तौर पर, प्रतिमाह, प्रति हैंडपंप रूपये 10/–

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5–1/2013 /1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूंबर 2016 के माध्यम से इन कर्मचारियों के लिए <u>कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये ''स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना''</u> जारी की गयी है जिसमें नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी की श्रेणी देते हुए उन्हें अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रेणी में विभाजित कर श्रेणीवार वेतनमान स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये थे। वेतनमान निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><td>अकुशल श्रेणी</td><td>4000–80–7000</td></tr>
<tr><td>अर्द्धकुशल श्रेणी</td><td>4500–90–7500</td></tr>
<tr><td>कुशल श्रेणी</td><td>5000–100–8000</td></tr>
</table>
इसके अतिरिक्त विभाग के श्रम कानूनों में परिभाषित इंडस्ट्री'' की परिभाषा के अंतर्गत आने के कारण बहुत से दैनिक वेतन बोगी कर्मचारियों को म प्र औद्यौगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञायें) अधिनियम–1961 एवं नियम 1963 के अंतर्गत बनायीं गयी मानक स्तरीय आज्ञाओं के स्थायी आदेश क्रमांक–2 के तहत स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है ।

मान. उच्चतम न्यायालय की अवमानना याचिका क्रमांक 771/2015 (रामनरेश रावत एवं अन्य बनाम अश्विनी राय एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 में स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को पद के ग्रेडेड वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) देने के आदेश दिए गए थे । उक्त न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन में विभागीय स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को उनकी उक्त स्टेटस अवधि का निर्णयानुसार भुगतान किया जा रहा है ।</td>
<td>के हिसाब से भुगतान का प्रावधान किया गया था।

बाद में मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 8–16/96/2/चौतिस भोपाल, दिनांक 06.05.1998 में निहित प्रावधानों के तहत प्रत्येक ट्रायसेम श्रमिक को 25 से 30 हैण्डपंपों के संधारण व उनके रख–रखाव की जिम्मेदारी सौपे जाने का प्रावधान किया गया था। परिपत्र के अनुसार ट्रायसेम योजना के अंतर्गत प्रशिक्षितों को संधारण कार्य के प्रति आकृष्ट करने हेतु प्रतिमाह, प्रति हैंडपंप रूपये 20/–का पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान किया गया था।

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 16–54/2017/1/34 भोपाल, दिनांक 07 जून 2018 में ट्राययसेम योजना, प्रतिमाह, प्रति हैंडपंप रूपये 75/– के हिसाब से, अधिकतम 120 हैंडपंपों हेतु अधिकतम रू. 9,000/– प्रतिमाह मानदेय भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया था।

वर्तमान में यह योजना कार्य के परिमाण के आधार पर रूपए 12000/– प्रतिमाह के मानदेय भुगतान पर प्रभावशील है ।</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>स्थायी वर्गीकरण एवं इससे सम्बंधित तथ्य</td>
<td>म प्र औद्यौगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञायें) अधिनियम–1961 एवं नियम 1963 के अंतर्गत बनायीं गयी मानक स्तरीय आज्ञाओं के स्थायी आदेश क्रमांक–2 के तहत जब कोई दैनिक वेतन भोगी श्रमिक</td>
<td>जहॉ तक ट्रायसेम मैकेनिकों द्वारा स्थायी वर्गीकृत किये जाने और स्थायी पद का वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का प्रश्न है तो यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि ट्रायसेम</td>
</tr>
</table>

		आदेश क्रमांक 2 (i) अथवा 2(vi) के अतंर्गत प्रावधानित शर्ते पूरी करता है तो वह स्थाई रूप में वर्गीकृत होता है। राज्य शासन के सभी उपक्रमों के लिए बनायीं मानक स्तरीय आज्ञाओं के स्थायी आदेश क्रमांक 2 में कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं स्थाई कर्मचारी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :– 2- Classification of Employees- Employees shall be classified as- (i) permanent, (ii) permanent seasonal (iii) probationers, (iv)Badlies, (v) apprentices, (vi) temporary, [and (vii)fixed term employment's employee:] (i) A 'permanent' employee is one who has completed six months' satisfactory service in a clear vacancy in one or more posts whether as a probationer or otherwise, or a person whose name has been entered in the muster roll and who is given a ticket of permanent employee. (vi) 'temporary employee' means an employee who has been employed for work which is essentially of a temporary character, or who is temporarily employed as an additional employees in connection with the temporary increase in the work of a permanent nature provided that in case such employee is required to work continuously for more than six months he shall be deemed to be permanent employee, within the meaning of clause(i) above. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं	मैकेनिक पूर्णतः अंशकालिक कार्यो हेतु नियोजित किये गये है. तथा वे राज्य शासन के पूर्णकालिक कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते है। उनकी सेवाऐं किसी भी रूप में एवं कभी भी म प्र औद्यौगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञायें) अधिनियम–1961 एवं नियम 1963 के अंतर्गत शासित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में मानक स्तरीय आज्ञाओं के स्थायी आदेश क्रमांक 2 के प्रावधान जिनमें कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं स्थाई कर्मचारी को परिभाषित किया गया है, उन पर किसी भी रूप में लागू नहीं होते है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कभी भी किसी विभागीय रिक्त पद के विरूद्ध कार्य नहीं किया है, बल्कि उन्हें मानदेय के आधार पर कार्य आवंटन किया गया है। स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को मिलने वाले लाभ उन्हें दिये जाना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है।

		माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मानक स्थायी आदेश क्रमांक 2 (vi) को निरस्त किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 6678/2004 (मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य विरूद्ध श्री ओंकार सिहं पटेल), सिविल अपील क्रमांक 5185/2006 (मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य विरूद्ध ललित कुमार वर्मा), सिविल अपील क्रमांक 7006–7008/2009 (रमेश चन्द्र श्रीवास्तव विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य)एवं अवमानना याचिका क्रमांक 771/2015 (रामनरेश रावत विरूद्ध अश्विनी राय एवं अन्य), म. प्र . हाऊसिंग बोर्ड विरुद्ध मनोज श्रीवास्तव ;2006) 2 SCC 702, महेंद्र एल जैन विरुद्ध इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी (2005)1 SCC 639 तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की युगल पीठ द्वारा निर्णित रिट पिटीशन क्रमांक 1992/2006 (मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य विरूद्ध साहेब सिंह एवं अन्य) एवं माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की रिट पिटीशन क्रं. 4148/2000,4149/2000,4151/2000 एवं 4152 /2000 में स्थायी वर्गीकरण के संबंध में मानक स्थायी आदेश क्रमांक 2 (vi) को निरस्त करते हुये यह व्यवस्था दी गयी है कि मात्र 240 दिवस/06 माह की अवधि अथवा इससे लंबी अवधि तक भी निरन्तर सेवा करने से कोई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी स्थायी वर्गीकृत होने का पात्र नहीं हो जाता है, जब तक कि वह रिक्त पद के विरूद्ध कार्यरत नहीं रहा हो।	
6	मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा सभी विभागों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए लाई गई विनियमितीकरण योजना दिनांक 07 अक्टूंबर 2016	मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूंबर 2016 के माध्यम से **कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये ''स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना''** जारी की गयी है जिसमें नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी की श्रेणी देते हुए उन्हें अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रेणी में विभाजित कर श्रेणीवार वेतनमान स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये थे।	ट्रायसेम मैकेनिक पूर्णतः अंशकालिक कार्यो हेतु नियोजित किये गये है. तथा वे राज्य शासन के पूर्णकालिक कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते है। उन्हें मानदेय के आधार पर कार्य आवंटन किया गया है। योजना की कडिका 1.8 में स्पष्ट उल्लेख है कि यह योजना संविदा, अंशकालिक एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिये लागू नहीं है।

		इस परिपत्र की कंडिका–4, 5 एवं 6 में निम्नानुसार उल्लेख है :– 4. निर्माण विभागों के अतिरिक्त अन्य जिन विभागों में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत हैं, उन्हें वर्तमान में श्रमायुक्त द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। राज्य शासन एक कल्याणकारी राज्य होने की अवधारणा पर उस न्यूनतम मजदूरी से बेहतर मजदूरी देने के लिये इस श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को भी स्थायी कर्मी का पदनाम देते हुए वही वेतनमान एवं सुविधाएं देय होगी, जो उनके समकक्ष दैनिक वेतन भोगी को कंडिका–1.1 से 1.8 के अधीन निर्माण विभागों के स्थायी कर्मी को देय होगी। तद्नुसार संबंधित विभागों द्वारा कार्यपालिक आदेश जारी किये जाएं। 5 मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 जो कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी किये गये हैं को निरस्त किया जाकर विभिन्न निर्माण विभाग उपरोक्त कंडिका– 1.1 से 1.8 के अनुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक नियेजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961 व नियम 1963 के अंतर्गत इन निर्माण विभागों में कार्यरत श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिक मानते हुए आदेश जारी किये जाऐंगे व संबंधित विभाग के स्थायी कर्मियों का नियमन तद्नुसार किया जाए। 6 कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।	

(5) **<u>अभ्यावेदनकर्ताओं द्वारा चाही गयी सहायता का निर्धारण</u>**

अभ्यावेदनकर्ताओं द्वारा चाही गयी सहायता का निराकरण (स्वत्वों का निर्धारण). निम्नानुसार किया जा रहा है :–

1. सभी अभ्यावेदनकर्ता ट्रायसेम मैकेनिक ऊपर उल्लेखानुसार मानदेय पर नियोजित अंशकालिक श्रमिक हैं, जिनकी सेवायें पूर्णकालिक नहीं हैं तथा वे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं है। **उनसे प्रारंभ से ही कार्य के परिमाण के आधार पर देय मानदेय के अनुसार विभागीय सेवायें प्राप्त की जा रही हैं । उन्हें कभी भी दैनिक दर पर भुगतान नहीं किया गया है। उन्हें विभागीय कार्यो के अतिरिक्त अपनी आजिविका**

चलाने हेतु अन्य किसी भी तरह के कार्य संपादन हेतु पूर्णतः स्वतंत्र रखा गया हैं। सभी अभ्यावेदनकर्ता श्रमिक म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम 1961, नियम 1963 अथवा म.प्र.शासन द्वारा बनाये गये सेवा नियम ''म.प्र. दैनिक वेतन भागी (सेवा की शर्तें) नियम 2013 के अंतर्गत के अंतर्गत नहीं आते हैं। मात्र इन्ही अधिनियमों/सेवा नियमों के अधीन शासित होने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनियमितीकरण योजना दिनांक 07.10.2016 लागू की गई है, जिसके अंतर्गत अभ्यावेदनकर्ता श्रमिकों का समावेश किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है।

(6) रिट पिटीशन क्रमांक 2206/2015 (गौरी शंकर बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) एवं 2205/2015 (बलराम बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में सामान प्रकृति के कर्मचारियों को दिए गए लाभ के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

2. अभ्यावेदनकर्ता श्रमिकों द्वारा अपने पक्ष समर्थन हेतु विभाग के अधीनस्थ भिंड जिले में कार्यरत दो ट्रायसेम श्रमिक श्री गौरी शंकर एवं श्री बलराम द्वारा दायर की गई रिट पिटीशन क्रमांक 2206/2015 एवं 2205/2015 में पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 के अनुपालन में मुख्य अभियंता ग्वालियर द्वारा जारी किये गये आदेश क्रमाांक 315 दिनांक 08.05.2018 का उपयोग किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इन दोनों कर्मचारियों को तत्कालीन कार्यपालन यंत्री भिंड द्वारा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ सम्मिलित करते हुये स्थायी वर्गीकृत करने संबंधी त्रुटिपूर्ण आदेश पृ0 क्रमांक 2822 दिनांक 30.07.2005 जारी कर दिया गया था। इन कर्मचारियों ने उक्त आदेश के आधार पर ही रिट पिटीशन क्रमांक 2205/2015 एवं 2206/2015 दायर की थी, जिसमें उनके अभ्यावेदन के निराकरण के आदेश दिये गये थै । अभ्यावेदन निराकरण आदेश में उन्हें स्थायी वर्गीकरण के लाभों के लिये नहीं बल्कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई विनियमितीकरण योजना दिनांक 07.10.2016 के लिये पात्र निर्धारित किया गया था।

विभाग के संज्ञान में आने के बाद कार्यपालन यंत्री, खंड भिंड के त्रृटिपूर्ण आदेश दिनांक 30.07.2005 को निरस्त भी कर दिया गया था किन्तु प्रभावित कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये न्यायालयीन प्रकरणों के प्रतिरक्षण में असफलता के कारण विभाग के लिये उन्हें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को देय लाभ देने की बाध्यकारी स्थिति उत्पन्न हुई थी।

मुख्य अभियंता, ग्वालियर द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.05.2018 में उल्लेख किया गया है कि इन कर्मचारियों को शासन के आदेश क्रमांक एफ16–102/2016/1/34 भोपाल, दिनांक 07.05.2018 के अनुसार अकुशल श्रेणी के लाभ दिये जा रहे हैं। शासन के उक्त आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि **''ऐसे ट्रायसेम मैकेनिक जिन्हें पूर्व में दैनिक वेतन भोगी के रूप में वर्गीकृत किया गया है (मात्र भिंड जिले के लिए)''** को अकुशल श्रेणी में सम्मिलित किया जा रहा है। शासन का आदेश भी यह स्पष्ट दर्शाता है कि उक्तानुसार शामिल किया जा रहा प्रावधान पूरे प्रदेश की बजाय अपवाद स्वरूप मात्र भिड जिले में हुए घटनाक्रम से प्रेरित है।

निष्कर्षित है कि विभाग को भिंड जिले में कार्यरत कुछ ट्रायसेम मैकेनिकों को, नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रारंभ में दैनिक वेतन भोगी मान्य करने संबंधी त्रुटिपूर्ण आदेश जारी करने एवं बाद में उस आदेश पर आधारित न्यायालयीन प्रकरण के प्रतिरक्षण में

असफलता के कारण, न्यायालयीन निर्णयों के बाध्यकारी प्रभाव में, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लागू होने वाले लाभ **(स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना/'न्यूनतम वेतनमान आदि)** देने पड़े हैं किन्तु इसकी वजह से वर्तमान अभ्यावेदन कर्ता श्रमिकों को इस तरह के किसी लाभ की पात्रता नहीं आती है क्योंकि **उनके संबंध में इस प्रकृति के कोई विभागीय आदेश (भले ही वह त्रुटिपूर्ण हो) तथा उससे उत्प्रेरित न्यायालयीन निर्णय (जो उनके संबंध में संगत लाभों के निर्धारण/ देने के संबंध में बाध्यकारी प्रभाव रखते हों) कभी भी अस्तित्व में नहीं रहे हैं।**

3. अंत में विभाग की ओर से यह भी कहा जाना आवश्यक है कि सामान प्रकृति के कर्मचारियों को त्रुटिपूर्ण आधार पर दिए गए लाभ के अनुरूप अभ्यावेदनकर्ता श्रमिकों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लाभ पाने की पात्रता नहीं आती है क्योकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित ''राम नरेश रावत'' प्रकरण एवं **''इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एवं अन्य विरूद्ध टी.के.सूर्यनारायणन एवं अन्य'' [(1997) एस.सी.सी. 766]** नामक प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कुछ लोगों को त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है तो वह अन्य लोगों के लिये उस लाभ को प्राप्त करने का आधार नही बन सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया समानता के अधिकार को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(7) **उपरोक्तानुसार अभ्यावेदन दिनांक 02.03.2020 में शामिल सभी 05 ट्रायसेम मैकेनिकों के सम्बन्ध में निर्धारित किया जाता है कि वे सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है, । उन्हें उनके उनके कार्य के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। अभ्यावेदनकर्ता ट्रायसेम मैकेनिकों द्वारा विभाग से चाही गयी सहायता कि उन्हें म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गयी विनियमितीकरण योजना दिनांक 07.10.2016 का लाभ दिया जावे, को अमान्य किया जाता है।**

प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. /प्र.अ.(विधि)/लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

(1) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(2) अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, सागर मंडल सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ।

(3) कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग खंड खुरई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(4) श्री———————————————————————————— पता———————————— ———— —————— ट्रायसेम मैकेनिक की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

प्रमुख अभियंता